तारीख हुक्म	हुक्म या ...
13-06-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार मौका रिपोर्ट DLC दिनांक 18-06-24 को पेश हो।
18-06-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उप. पत्रावली वास्ते इन्तजार मौका रिपोर्ट DLC दिनांक 21-06-24 को पेश हो।
21-06-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार इन्द्रगढ़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस समाप्त पत्रावली की गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र दिनांक 28-06-24 को पेश हो।
28-06-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। TDR इन्द्रगढ़ की तरफ से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन करने पर प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 14-6-13 के प्रावधान RTA 251(क) राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र दिनांक 21-9-22 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसलशुमार हो प्रकरण दर्ज रजिस्टर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

[illegible] अधिकारी
[illegible] (...)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

प्रार्थना पत्र संख्या 88 / 2021 पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक 09.12.2021 कैलाश चन्द गुर्जर(RAS)

बउनवान

1. श्रीमती संतराबाई पत्नी राजेश कुमार जाति मीना निवासी ग्राम नयागांव तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

2. हेमराज आ0 पृथ्वीराज जाति मीना निवासी ग्राम भूत्यापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली हाल निवासी ग्राम नांता थाना एवं तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

3. तेजाराम आ0 श्री जोहरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम भूत्यापुरा तहसील सपोटरा जिला करौली हाल निवासी ग्राम नांता थाना एवं तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थिगण

बनाम

1. सुरजन आ0 श्री हजारी जाति मीना निवासी ग्राम नान्ता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

2. ग्राम पंचायत दौलतपुरा जरिये सचिव महोदय, ग्राम पंचायत कार्यालय दौलतपुरा, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

3. सरपंच ग्राम पंचायत दौलतपुरा, ग्राम पंचायत कार्यालय दौलतपुरा, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी, राज0।

–अप्रार्थिगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. श्री धीरज जैन – अधिबक्ता प्रार्थिगण

2. अनुपस्थित – अप्रार्थिगण 1 लगायत 4

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

निर्णय

दिनांकः—28.06.2024

प्रार्थिगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थिया क्रम संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नई 86 पुरानी 82 खसरा संख्या 7 रकबा 2.25है0 वाके ग्राम नान्ता पटवार हल्का दौलतपुरा, तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थी क्रम संख्या 2 व 3 की सहखातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या नई 87 पुरानी 83 की खसरा संख्या 6 रकबा 2.44है0 वाके ग्राम नान्ता पटवारा हल्का दौलतपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थिगण की उपरोक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमियों में आने जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है एवं प्रार्थिगण अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थिगण अपनी कृषि भूमियों में आने जाने के लिए ग्राम टोकसपुरा से केमला जाने वाले रास्ते से ग्राम पंचायत दौलतपुरा की खाते की भूमि खसरा संख्या 9/738 रकबा 0.50है0 वाके ग्राम नान्ता की पश्चिमी मेड के सहारे होकर उत्तरी मेड पर होकर अप्रार्थी सं 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 9 रकबा 4.05है0 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर ग्राम पंचायत दौलतपुरा की खसरा संख्या 6/727 रकबा 0.30है0 कृषि भूमि वाके ग्राम नान्ता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की भूमि की उतरी मेड़ के सहारे होकर प्रार्थी क्रम 2 व 3 की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 6 तक आने जाने के लिए रास्ता चाहता है एवं यही से प्रार्थिया क्रम 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 7 में आने जाने के लिये रास्ता चाहिये। प्रार्थिगण की कृषि भूमियों पर आने जाने के लिये कोई रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थिगण रास्ते की भूमि की डीएलसी रेट जमा कराने हेतु तत्पर है। प्रार्थिगण ने प्रशासन गांवों के संग शिविर, ग्राम पंचायत दौलतपुरा में दिनांक 01.11.2021 को प्रशासनिक अधिकारियों से इस बाबत् निवेदन करने उन्होनें न्यायालय में कार्यवाही करने कहा इसी कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त में प्रार्थिगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम टोकसपुरा से कमला जाने वाले रास्ते से ग्राम पंचायत दौलतपुरा की खाते की भूमि खसरा संख्या 9/738 रकबा 0.50है0 वाके ग्राम नान्ता की पश्चिमी मेड के सहारे होकर उतरी मेड पर होकर अप्रार्थी सं 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 9 रकबा 4.05है0 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर ग्राम पंचायत दौलतपुरा की खसरा संख्या 6/727 रकबा 0.30है0 कृषि भूमि वाके ग्राम नान्ता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की भूमि की उतरी मेड़ के सहारे होकर प्रार्थी क्रम 2 व 3 की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 6 तक आने जाने के लिए 20फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावे।

प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थिगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं 1 लगायत 3 अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार इन्द्रगढ़ से रिकॉर्ड एवं मौके की रिपोर्ट ली गई जिसका अवलोकन करने पर मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के खसरा संख्या 6 में

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

ने हेतु रास्ते में वाके ग्राम नान्ता के खसरा संख्या 11, 9, 9/738 तथा 6/727 की मेर पर होकर गुंजरेगा इसके अतिरिक्त खसरा संख्या 6 में से होकर जाना पडेगा जो एक मात्र लघुतम दूरी का रास्ता होगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

प्रार्थिगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दौहराव करते हुए दौराने बहस कथन किया कि अन्य कोई विकल्प अनुसार प्रार्थी खातेदार को 20 फिट का रास्ता दिया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थिगण अपनी कृषि भूमि पर काश्त करने से वंचित हो जायेगा प्रार्थिगण को जीवन यापन करना मुश्किल हो जायेगा। प्रार्थिगण रास्ते की भूमि की उचित डीएलसी रेट जमा कराने हेतु तैयार है।

हमारे द्वारा प्रार्थिगण अधिवक्ता के अभिवचनों को ध्यान में रखते हुए एवं पत्रावली रिपोर्ट तहसीलदार का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने एवं राजस्थान सरकार रांजस्व(ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.09.2021 के अनुसार रास्ता या पहुंच मार्ग एक आवश्यक सुखाधिकार है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानो के अन्तर्गत खातेदार द्वारा अन्य खातेदारों की जोत से पहुंच मार्ग नियमानुसार दिये जाने के प्रावधानों के अनुसार रास्ते का विकल्प नहीं होने की स्थिति में नया पहुंच मार्ग दिया जा सकता है। वर्तमान में प्रार्थिया सं 1 की खातेदारी कृषि भूमि ख.सं. 7 रकबा 2.25है0 तथा प्रार्थी सं 2 व 3 की सहखाते की कृषि भूमि खसरा संख्या 6 रकबा 2.44है0 वाके ग्राम नान्ता पटवारा हल्का नयागांव में जाने हेतु अन्य कोई पहुंच मार्ग का विकल्प नहीं होने का तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से अवगत कराया गया है साथ ही निकटतम दूरी का रास्ते का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिती को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रस्तावित रास्ता 4 मीटर चौडाई में वाके ग्राम नान्ता के खसरा संख्या 11, 9/738, 9, 6/627 की मेर के सहारे–सहारे होता हुआ प्रार्थी संख्या 2 व 3 की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 6 तक पहुँचेगा तथा खसरा संख्या 6 के मध्य में से मुताबिक प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निकलकर उक्त रास्ता प्रार्थिया सं 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 7 में पहुँचेगा। उक्त प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है जो निर्णय का भाग रहेगा। उक्त प्रस्तावित रास्ता टोकसपुरा ग्राम की आबादी से केमल्या आ रहे चालू आम रास्ते से जुडता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि वाके ग्राम नान्ता के खसरा संख्या 9/738 रकबा 0.50है0 में से 0.100है0 तथा 6/627 रकबा 0.30है0 में से 0.011है0 जो कि ग्राम पंचायत दौलतपुरा की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा संख्या 9 रकबा 4.05है0 में से रकबा 0.030है0 जो अप्रार्थी सं 1 सुरजन आ0 हजारी जाति मीना निवासी नान्ता की खातेदारी में है, खसरा संख्या 11 में से रकबा 0.0082है0 जो राजकीय सिवांयचक दर्ज है एवं खसरा संख्या 6 में से रकबा 0.042है0 जो कि प्रार्थी संख्या 2,3 के नाम सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है कुल किता 5 कुल प्रभावित रकबा 0.1912है0 की आवश्यकता होगी। रास्ते में आने वाली भूमियों के प्रभावित रकबे का डी0एल0सी0 दर से दुगना

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

कर प्रार्थिगण द्वारा अप्रार्थिगण को अदा करने पर रास्ता 4मीटर की चौडाई में बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है। तहसीलदार व हल्का पटवारी की रिपोर्ट के मुताबिक रास्ते में अवाप्त की जाने वाली कृषि भूमि का रकबा एवं डी0एल0सी0 से उपरोक्त गणना करने पर अप्रार्थी संख्या 1 को प्रतिकर राशी 40,668 रुपये एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 ग्राम पंचायत दौलतपुरा की प्रतिकर राशी 1,50,473 रुपये, खसरा संख्या 6 की प्रतिकर राशि 56,936रु प्रार्थी संख्या 2 व 3 एवं सहखातेदारों के खाते में, राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 11 की प्रतिकर राशि 11,116 रुपय राजकोष में प्रार्थिगण द्वारा जर्ये डी0डी0 तहसीलदार इन्द्रगढ़ के समक्ष हिस्से अनुसार संबंधित खातेदार को अदा करने पर तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा रास्ते के उपयोग में ली गई कृषि भूमि का रकबा मूल खसरों से कम करते हुए रास्ते के लिए प्रदत्त की गई भूमि का राजस्व अभिलेखों में रास्ते के रूप में पृथक से अभिलिखित की जावे उक्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28–06–2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी,
लाखेरी (बून्दी)